निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)

(सं0 पटना 642) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

28 अप्रील 2015

सं0 22 / नि0सि0(भाग0)–09–22 / 2010 / 964—श्री शीतल चन्द्र झा, आई0 डी0–1343, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा से निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 6925 दिनांक 11.09.2010 द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत लखीसराय जिला में अष्टघट्टी पोखर के सौन्दर्यीकरण योजना से संबंधित तकनीकी परीक्षक कोषांग के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में निम्नांकित प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये आरापों के लिए दोषी पाये जाने के उपरान्त विभागीय पत्रांक 08 दिनांक 04.01.2011 द्वारा स्पष्टीकरण किया गयाः–

(i) बिना विभागीय अनुमति के राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत लखीसराय जिला के मत्स्य प्रक्षेत्र में अष्टघट्टी पोखर की खुदाई, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण योजना का कार्य करना।

(ii) विषयांकित पोखरा के पश्चिमी भिंडा पर 500 (पॉच सौ) फीट की लम्बाई में ईंटकरण दो लेयर में किया गया था। ईंटकरण में प्रायः सही गुणवत्ता का ईंट का प्रयोग नहीं किया गया था। कार्यपालक अभियंता द्वारा बतलाया गया कि उक्त घटिया ईंट की सुधार हेतु 5% (पॉच प्रतिशत) की दर से भुगतान में कटौती कर ली गयी है। उक्त ईंट सोलिंग कार्य में सुधार किये जाने का कोई साक्ष्य जॉच पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया गया है। स्थलीय जॉच में ईंट सोलिंग कार्य आंशिक रूप से किया गया एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में पाया गया।

फलस्वरूप घटिया ब्रीक सोलिंग कार्य के लिए मापीपुस्त में मापी अंकित करना, विपत्र पारित करना एवं उक्त गलत कार्य के विरूद्ध भुगतान की गयी राशि की वसूली नहीं करना।

(iii) F_2 एकरारनामा के शर्त्तों के आलोक में निर्धारित समय सीमा के अन्दर विषयांकित अष्ठघट्टी पोखर योजना का कार्य पूरा कराने हेतु संवेदक के विरूद्ध सार्थक कार्रवाई नहीं करना। संवेदक द्वारा कार्य को अबतक नहीं कराया गया है। कार्य मानक एवं प्राक्कलन के अनुरूप सही नहीं पाया जाना।

2. उपर्युक्त विभागीय पत्रांक 08 दिनांक 04.01.2011 द्वारा किये गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री शीतल चन्द्र झा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में प्रस्तुत किये गये तथ्यों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि विषयांकित कार्य में राज्य सरकार को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है तथा श्री शीतल चन्द्र झा, अधीक्षण अभियंता के पद से दिनांक 30.11.2011 को सेवानिवृत हो चुके हैं, फलतः श्री झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी0) के तहत कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

3. उपर्युक्त पाये गये तथ्यों के आलोक में सरकार के स्तर पर श्री शीतल चन्द्र झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए मामले की तकनीकी दृष्टिकोण से संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

श्री शीतल चन्द्र झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता को उक्त निर्णय संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 642-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in